


14/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान बाढ़ की वैधनिक अवधि एक वर्ष बीत चुकी है। उमय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान बाढ़ समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
राहड़ा।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
राहड़ा।